HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 4th Bail Application No. 2865/2026

Deepak Singh S/o Mohan Singh, Aged About 35 Years, R/o Ward No. 7, Jeelo, Police Station Dabla, District Neem Ka Thana (Raj.) (At Present Lodge At Sub Jail Kotputli).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Amit Jindal, Adv. with Ms. Deepti Jindal, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

26/02/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह चतुर्थ जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439) के अन्तर्गत पुलिस थाना–डाबला, नीम का थाना में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–27/2023 अपराध अन्तर्गत धारा 302, 323, 341, 143 भा.दं.सं. में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का निवेदन है कि अभियुक्त निर्दोष है, दिनांक 22.11.2023 से अभिरक्षा में है, ट्रेक्टर चालक जिसके विरुद्ध कथित रूप से ट्रेक्टर मृतक पर चढ़ाकर उसकी हत्या कारित करने का आरोप है, वह सह–अभियुक्त जनक सिंह है, जिससे प्रार्थी–अभियुक्त का मामला भिन्न है। आहत तथा मृतक की पत्नी राजकंवर के विचारण न्यायालय के समक्ष बयान हो चुके हैं, उसके पुलिस व न्यायालयीन कथनों में परस्पर विरोधाभास है, महत्वपूर्ण गवाहान के बयान लेखबद्ध हो चुके हैं, शेष विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त का यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संबंध में अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में प्रार्थी–अभियुक्त के तीन जमानत आवेदन पूर्व में खारिज किये गये थे, तृतीय जमानत आवेदन दिनांक 15.10.2025 को खारिज करते समय आहत व प्रत्यक्षदर्शी गवाह श्रीमती राजकंवर के बयान लेखबद्ध होने के बाद नवीन आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता दी गई थी। मुख्य रूप से इस मामले में यह आरोप है कि ट्रेक्टर चालक जनक सिंह द्वारा मृतक पर जानबूझकर ट्रेक्टर चढ़ाकर उसकी हत्या कारित की तथा साथ में रविन्द्र सिंह सह–अभियुक्त की मुख्य भूमिका बताई गई है। प्रार्थी–अभियुक्त दीपक सिंह के विरूद्ध यह आरोप है कि वह उपरोक्त दोनों अभियुक्त के साथ था और तत्समय ट्रेक्टर पर बैठा था। अभियुक्त दिनांक 22.11.2023 से अभिरक्षा में है, महत्वपूर्ण गवाहान के बयान लेखबद्ध हो चुके हैं, सह–अभियुक्त से प्रार्थी–अभियुक्त का मामला भिन्न है, विचारण न्यायालय से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की गई, तद्नुसार अभी भी दस गवाहान के बयान होना शेष हैं।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **दीपक सिंह पुत्र मोहन सिंह** की ओर से प्रस्तुत यह चतुर्थ जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

चूंकि सह–अभियुक्त रविन्द्र व जनक सिंह अभी भी अभिरक्षा में हैं, अतः ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को यह आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति से दो माह में संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य लेखबद्ध करते हुए तीन माह में प्रकरण का निस्तारण का प्रयास करें।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को जरिये ई–मेल प्रेषित की जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /04